न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
24/2018	धारा 53 RTA	28.03.2018	06.03.2020

जाकिरहुसैन पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

1. अब्दुल सतार पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
2. मोहम्मद असलम पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
3. जाफर हुसैन पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
4. कादरबक्स पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
5. सलीम पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
6. जीवणी पत्नी स्व. यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
7. युसुफ पुत्र यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
8. जाफर पुत्र यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
9. राजू पुत्र यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
10. मुन्नी पुत्री यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
11. नसीम पुत्री यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
12. बाबू पुत्र यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
13. नजमा पुत्री यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
14. जावेद पुत्र साबिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
15. हारून पुत्र साबिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
16. मोहसिन पुत्र साबिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
17. समीम पत्नी साबिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
18. मोहम्मद युसुफ पुत्र सुलेमान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
19. मोहम्मद इस्माईल पुत्र नूरमोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
20. शौकतअली पुत्र नूरमोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
21. मुस्लिम पुत्र नूरमोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
22. स्व. रमजान पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)

22/1 जुबेदाबेगम पत्नी स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/2 अनवर हुसैन पुत्र स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3 स्व. जाकिरहुसैन पुत्र स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/1 फरीदाबेगम पत्नी स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/2 रियाजअहमद पुत्र स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/3 फरदीनअहमद पुत्र स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/4 जुनेरा भाटी पुत्री स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/5 जिआ पुत्री स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/4 शाकिरा पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/5 साजिदा पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/6 शबनमबानो पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/7 रंजुम पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)

23. शशिकान्त पुत्र विजयकुमार जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 23, चूरू (राज.)

24. मोहम्मदअयूबखां पुत्र हबीबखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 9, चूरू (राज.)
25. अयूबखां पुत्र नबाबखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 12, चूरू (राज.)
26. निसार थीम पुत्र हनीफ थीम जाति कसाई निवासी चूरू (राज.)
27. मोम्मदशकीलखां पुत्र निजामुदीनखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 12, चूरू (राज.)
28. याकूबअली पुत्र सादुलेखां जाति कायमखानी निवासी ताखलसर तह. रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
29. राजवीरसिंह पुत्र सुमेरदान जाति चारण निवासी वार्ड नं. 24, गांधी कॉलोनी चूरू (राज.)
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू (राज.)
31. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, चूरू (राज.)
32. उस्मानगनी खोकर पुत्र उम्मेदखान जाति कायमखानी निवासी सबलपुरा, सीकर
33. पतासीबानो पत्नी वाहिदखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 06, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–
1. अधिवक्ता श्री राकेश सारण व श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. अधिवक्ता श्री राजकुमार प्रतिवादी सं. 1 से 5, 14 से 21, 25 से 29
3. अधिवक्ता श्री अनन्तराम सोनी प्रतिवादी सं. 6, 8 से 11
4. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ प्रतिवादी सं. 24
5. अधिवक्ता श्री सन्दीप वर्मा प्रतिवादी सं. 33

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 22 एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 22 के पूर्वज स्वर्गीय नब्बू, स्वर्गीय जमाल, स्वर्गीय अकबर सगे भाई थे जिनकी सहखातेदारी की कृषि भूमि रोही कस्बा चूरू में स्थित थी जिसके हाल ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कमशः 7.3475 हैक्टेयर, 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर, 8.9284 हैक्टेयर कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर वाके राही कस्बा चूरू है जिन्होंने इस कृषि भूमि को आपसी सहमति से आपसी मौखिक बाहमी फैसलनामा से बंटवारा कर लिया था उसी विभाजन के मुताबिक सभी ने अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करना शुरू कर दिया था व अपने जीवनकाल से ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 स्वर्गीय रमजान, स्वर्गीय यासीन पुत्र पुत्र अकबर अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमियों को काश्त करते रहे हैं। जमाबन्दी व नक्शा X की प्रमाणित प्रति शामिल दावा पेश है। यह कि उपर वर्णित मौखिक पारिवारिक आपसी फैसलनामा के मुताबिक किये गये बंटवारे में खसरा नम्बर 234 तादादी 7.3475 हैक्टेयर वाके रोही कस्ब की कृषि भूमि स्वर्गीय अकबर के हिस्से में आई हुई है, जिसे इनके वारिसान पुत्र यासीन व रमजान वा पुत्री जैतून काश्त करते रहे हैं। रमजान व जैतून ने अपने हिस्से की कृषि भूमि मोहम्मदअयूबखां को विकय कर दी वा केता खसरा नम्बर 234 में रमजान व जैतून के हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करते हैं। प्रतिवादी सं. 24 मोहम्मदअयूब जिसके हिस्से में 4.5632 हैक्टेयर कृषि भूमि आती है, जो खसरा नम्बर 234 की कृषि भूमि काश्त करता है तथा यासीन का स्वर्गवास होने के कारण उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 से 13 काश्त करते हैं तथा स्वर्गीय यासीन द्वारा अपना कुछ हिस्सा 0.7081 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 23 शशिकान्त को विकय किया था जो खसरा नम्बर 234 पर काश्त करता है। यह कि उपर वर्णित मौखिक पारिवारिक फैसलनामा के मुताबिक किये गये बंटवारे में खसरा नम्बर 245 तादादी 8.9284 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू की कृषि भूमि स्वर्गीय नब्बू के हिस्से में आई हुई थी जिसे उनके पुत्र सुलेमान वा उनकी मृत्यु के बाद स्व. सुलेमान के पुत्र युसुफ व साबिरहुसैन काश्त करते थे, साबिरहुसैन

का स्वर्गवास होने के कारण उनकी पत्नी पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 काश्त करते हैं। जिनका कुल 4.4642 हैक्टेयर हिस्सा बनता है। मोहम्मदयुसुफ द्वारा अपने हिस्से की कुछ भूमि प्रतिवादीगण संख्या 25 से 29 प्रत्येक को 0.3540 हैक्टेयर कृषि भूमि कुल 1.7700 हैक्टेयर भूमि का विक्रय कर दिया वा प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 29 खसरा नम्बर 245 में कृषि भूमि काश्त करते हैं। प्रतिवादी संख्या 18 मोहम्मदयुसुफ अपने हिस्से की 2.6942 हैक्टेयर कृषि भूमि खसरा नम्बर 245 में काश्त करता है।

यह कि उपर वर्णित बाहमी फैसलानामा के अनुसार हुये बंटवारानामा में खसरा नम्बर 238 व 240 तादादी कमशः 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर कुल 8.2328 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू की कृषि भूमि स्वर्गीय जमाल के हिस्से में आई हुई थी जिसे उनके पुत्रगण स्व. इब्राहिम, स्व. यासीन व स्व. नूरमोहम्मद उर्फ नानू काश्त करते थे जिस कृषि भूमि को वर्तमान में उनके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 वा प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 काश्त करते हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का खसरा नम्बर 238 में 1.7452 हैक्टेयर व 240 में 0.9991 हैक्टेयर दोनों खसरों के संयुक्त रूप से मध्य में कुल 2.7443 हैक्टेयर है, कृषि भूमि काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 238 में 1.7452 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 240 में 0.9991 हैक्टेयर कुल 2.7443 हैक्टेयर हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 संयुक्त रूप से काश्त करते हैं तथा खसरा नम्बर 245 के चिपते खसरा नम्बर 240 पर अप्रार्थीगण संख्या 17 ता 19 काश्त करते हैं जिसका कुल 2.7442 हैक्टेयर हिस्सा बनता है तथा खसरा नम्बर 238 पर अप्रार्थीगण संख्या 20 रमजान काश्त करता है जिसकी 2.7443 हैक्टेयर कृषि भूमि है। यह कि उपरोक्त मद संख्या 1 व 4 में वर्णित कृषि भूमियों के साथ साथ खसरा नम्बर 931 रकबा 8.3466 हैक्टेयर कासमअली, महबूब, मो0इस्माईल, मोहम्मदयुसुफ, मोहम्मदसलीम के 1/6 हिस्सा प्रत्येक के खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है जो वादगत कृषि भूमियों के शामिल पूर्व जमाबन्दी में अंकित चली आई जिसके बाबत कासमअली ने एक दावा 13/13 अन्तर्गत धारा 53, 88, 92क व 188 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत श्रीमान् जी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर विधि अनुसार सुनवाई की जाकर श्रीमान् जी के न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2017 को प्राथमिक डिक्री व दिनांक 12.02.2018 को अन्तिम डिक्री जारी की जिसकी अनुपालना में खसरा नम्बर 931 का समस्त रकबा उपरोक्त सभी 6 व्यक्तियों जो स्वर्गीय आमीन के पुत्र हैं, के नाम बराबर–बराबर 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी में दर्ज करते हुए खसरा नम्बर 931 रकबा 8.3466 हैक्टेयर वादगत कृषि भूमियों से अलग किया जाकर एकमात्र स्व0 आमीन के उपर वर्णित 6 पुत्रों की सह खातेदारी में दर्ज कर दिया है। उक्त खसरा नम्बर 931 की जमाबन्दी मुलायजा हेतु शामिल दावा पेश है।

यह कि मद संख्या पांच में वर्णित दावा में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर अदालतवाला द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये थे जिनमें तहसीलदार साहब, चूरू द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.12.2017 में सभी सहखातेदारों की काश्त के अनुसार सभी खातेदारों के रकबों का खुलासा करते हुवे किस खसरे में किस खातेदार के द्वारा कितना–कितना हिस्सा काश्त किया जा रहा है, उसकी मौका स्थिति के अनुसार कब्जा काश्त की रिपोर्ट तहसीलदार साहब, चूरू द्वारा अदालतवाला के समक्ष पेश की गई जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 जो स्व0 यासीन के पुत्र हैं, के कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग में खसरा नम्बर 238 में से 1.7452 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 240 में से 0.9991 हैक्टेयर कुल 2.7443 हैक्टेयर कृषि भूमि कब्जा काश्त में चली आना अंकित किया जिसके बाबत कोई आपत्ति किसी भी खातेदार द्वारा अदालतवाला के समक्ष पेश नहीं की गई जिसके माने यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 खसरा नम्बर 238 व 240 में आपस में लगते हुए 2.7443 हैक्टेयर रकबा पर काबिज काश्तकार हैं जो रकबा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की अनन्य रूप से खातेदारी व कब्जा काश्त का है मगर उक्त दावा के विचारणकाल के दौरान वादी व प्रतिवादीगण

संख्या 1 ता 5 की खातेदारी व कब्जा काश्त का उपर वर्णित रकबा खाता विभाजन के जरिये वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के हक में एकमात्र उनकी खातेदारी में अन्य खातेदारान के खाते से विभाजित कर दर्ज नहीं किया गया। इस कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे वादगत कृषि भूमि में स्थित अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त का रकबा 2.7443 हैक्टेयर अलग से विभाजित करवा कर उसका अलग खाता व लगान कायम करवा लेवें जिसके लिए यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.12.2017 तहसीलदार साहब, चूरू की प्रमाणित प्रति शामिल दावा पेश है। यह कि दावा संख्या 13/13 के विचारणकाल के दौरान मौजूद दावा के प्रतिवादीगण संख्या 12 ने दिनांक 08.01.2018 व 13 ने दिनांक 24.01.2018 के द्वारा अपना–अपना हिस्सा अजनबी व्यक्तियों को विक्रय कर दिया जबकि दावा संख्या 13/2013 के विचारणकाल के दौरान जिस समयावधि में प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 ने वादगत भूमि में स्थित अपना–अपना हिस्सा अजनबी व्यक्तियों को विक्रय किया उस समय अदालतवाला द्वारा सभी पक्षकारान दावा को जरिये अन्तरिम निषेधाज्ञा ता फैसला दावा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया हुआ था मगर प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 ने उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश की खिलाफवर्जी में दावा के विचारणकाल के दौरान अपना–अपना हिस्सा अजनबी व्यक्तियों को विक्रय कर दिया जो विक्रय पत्र कानून की नजर में बेअसर, बातिल व शून्य प्रभावी हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 12 व 13 द्वारा विक्रय की गई भूमि के क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 को दावा हाजा में पक्षकार बनाया गया है। आज भी मौका पर कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 का है। अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 29.07.2015 की प्रमाणित प्रति शामिल दावा पेश है।

यह कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ख.नं. 238 व 240 में आपस में एक दूसरे से लगे हुए 2.7443 हैक्टेयर कृषि भूमि पर काबिज हैं जिसका विभाजन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 कब्जा काश्त के आधार पर करवाकर अलग खाता व लगान कायम करवाना चाहते हैं। वादी द्वारा चाही गई कृषि भूमि का विवरण दावा सं. 13/13 के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.12.2017 से एकदम स्पष्ट है। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 29 वादगत कृषि भूमि के वादी के साथ–साथ काबिज काश्तकार व खातेदार हैं चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के हैसियत आज भी वादगत भूमि में खातेदार काश्तकार की है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 29 को आवश्यक पक्षकार होने से दावा हाजा में बतौर प्रतिवादीगण संयोजित किया है। यह कि वादगत कृषि भूमि के खातेदारों की संख्या अधिक होने के कारण हर समय अच्छी बुरी किस्म व हक हिस्से को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है इस कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने यह उचित एवं आवश्यक समझा है कि वे वादगत कृषि भूमि में स्थित अपनी खातेदार, कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग का रकबा 2.7443 हैक्टेयर का कब्जा काश्त के अनुसार अलग विभाजित करवा लेवें जिसके लिए यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। यह कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वादगत कृषि भूमि में 2.7443 हैक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार हैं मगर मौजूदा समय में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व्यापार के सिलसिले में चूरू से बाहर होने के कारण वादपत्र अकेले वादी द्वारा पेश किया जा रहा है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है। यह कि वादी ने प्रतिवादी सं. 6 से 29 को कहा व कहलवाया कि वे साथ चलकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का वादगत कृषि भूमि में स्थित खसरा नम्बर 238 व 240 में स्थित 2.7443 हैक्टेयर हिस्सा अलग विभाजित करवाकर उसका अलग खाता व लगान कायम करवा देवें। पहले तो प्रतिवादीगण सं. 6 ता 29 टालमटोल करते रहे एवं आखिरकार दिनांक 15.03.2018 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादी को वादगत कृषि भूमि में रकबा 2.7443 हैक्टेयर कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के साथ खातेदार काबिज काश्तकार होने से हर वक्त प्राप्त है।

यह कि राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना है इसलिए राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार साहब, चूरू को तरतीबी फरीक बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। यह कि दावा हाजा के साथ सम्यक सावधानी बरतते हुए धारा 212 आर.टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र इस निमित्त पेश किया जा रहा है कि दावा हाजा के विचारणकाल के दौरान वादगत कृषि भूमि के मौका व रिकार्ड की स्थिति किसी भी पक्षकार दावा द्वारा परिवर्तित नहीं की जावे तथा मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखी जावे। चूंकि वादगत कृषि भूमियां उप पंजीयक प्रतिवादी संख्या 31 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित हैं कोई भी संभावित विकय पत्र उन्हीं के द्वारा तस्दीक रजिस्ट्री किया जाना सम्भावित है प्रतिवादी संख्या 31 उप पंजीयक चूरू को तरतीबी फरीक बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष दावा में नहीं चाहा गया है। चूंकि दावा में पक्षकार संयोजित नहीं रहे होने की स्थिति में उन्हें धारा 212 आर. टी. एक्ट में प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 31 को तरतीबी फरीक बनाया गया है। यह कि वादगत कृषि भूमियों अदालतवाला की क्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित हैं जिसकी रूह से अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल हैं दावा हाजा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा हाजा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी बहक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कृषि भूमि ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कमशः 7.3475 हैक्टेयर, 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर, 8.9284 हैक्टेयर कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर वाके राही कस्बा चूरू का खाता विभाजन किया जाकर कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 238 में 1.7452 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 240 में 0.9991 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7443 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के कब्जा काश्त के अनुसार उनके नाम अलग से विभाजित किया जाकर उसका अलग खाता व लगान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से कायम किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 29 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य हर न्यायोचित सहायता जिसे प्राप्त करने के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 हकदार हैं, दिलवायी जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1, 18, 19, 25, 26, 29 की ओर से वकालतनामा एवं 2 से 5, 14 से 17, 20, 21, 27 व 28 की ओर से हिदायत पैरवी का प्रार्थना पत्र मीमो श्री राजकुमार एडवोकेट ने पेश किया। प्रतिवादी सं. 6 से 13 व 22 से 24 के विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से इकबालदावा एवं प्रतिवादी सं. 14 से 21 व 25 से 29 की ओर से इकबालदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिसका जवाब वकील वादी ने नहीं देना चाहा। इकबालदावा व काउण्टर क्लेम शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने अपने इकबाल जवाब में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 से 13 स्वीकार हैं एवं दावा की मद संख्या 14 ता 16 कानूनी हैं इसलिए जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। वादी का दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को आपत्ति एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं. 14 से 18 की ओर से पेश जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम में दावा की मद सं. 1 से 9 को स्वीकार करते हुए मद सं. 9 में अंकित किया है कि दावा सं. 13/13 के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.12.2017 से एकदम स्पष्ट है कि हम प्रतिवादीगण सं. 14 से 17 का खसरा नम्बर 245 की कृषि भूमि काश्त करते हैं जिनका कुल 4.4642 हैक्टेयर हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी सं. 18 खसरा नं. 245 की कृषि भूमि काश्त करता है जिसका 2.6942 हैक्टेयर

हिस्सा बनता है। दावा की मद सं. 10 ता 12 व 14 कानूनी है इस कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 13 में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.03.2018 को इन्कार हो गये तथ्य को छोड़कर बाकी तथ्य बाबत एतराज नहीं। काउण्टर क्लेम में अंकित किया है कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी में अंकित है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 22 के पूर्वजों के बीच आपसी सहमति से आपसी पारिवारिक मौखिक बाहमी फैसलानामा होकर सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंटवारा पीढ़ियों पूर्व किया हुआ है व इस मौखिक बंटवारा में प्रतिवादीगण सं. 144 ता 16 के पिता व प्रतिवादी सं. 17 के पति स्वर्गीय सबीरहुसैन, प्रतिवादी सं. 18 मोहम्मदयुसुफ पुत्र सुलेमान के हिस्से में अपने दादाजी स्वर्गीय नब्बू के जीवनकाल में ही खसरा नम्बर 245 वाके रोही कस्बा चूरू की कृषि भूमि हिस्से में आई हुई थी जिसे प्रतिवादी सं. 14 ता 18 काश्त करते हैं। प्रतिवादी सं. 14 ता 18 ने अपने हिस्से में आई हुई कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 245 वाके रोही कस्बा चूरू में तारबन्दी कर एक पक्का मकान व कुण्ड बना रखी है व दरवाजा लगा रखा है जो पीढ़ियों से इस कृषि भूमि में काश्त करते हैं जिसका खाता विभाजन कराकर प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 18 अपने नाम से अलग खाता कायम कराने के अधिकारी हैं। दावा की मद सं. 1 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि के सह खातेदार काश्तकार पक्षकारान के पूर्वजों के बीच हुए मौखिक पारिवारिक फैसलानामा में किये गये विभाजन में प्रतिवादीगण के हिस्से में आई हुई कृषि भूमि जिसे प्रतिवादीगण काश्त करते हैं एवं प्रतिवादीगण ही इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। इसलिए प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमियों का खाता विभाजन करवाकर खाता अलग कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण 14 ता 18 भी अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि को शामलाती खाते में नहीं रखना चाहते इसलिए प्रतिवादीगण को भी खाता विभाजन कराने हेतु विनाय दावा व विनाय मुखास्मत हासिल है जिस हेतु यह प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) प्रतिवादीगण की ओर से उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने के काबिल है।

अतः प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 18 की ओर से प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) पेश किया जाकर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे–

(क) कृषि भूमि खेत ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कमशः 7.3475 हैक्टेयर, 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर, 8.9284 हैक्टेयर कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर वाके राही कस्बा चूरू का विभाजन किया जाकर खेत खसरा नम्बर 245 में प्रतिवादी सं. 18 का 2.6942 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 14 का 1.1161 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 15 का 1.1160 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 16 का 1.1162 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 17 का 1.1160 हैक्टेयर के नाम दर्ज की जावे व जमाबन्दी में इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष हितकर प्रतिवादी हो या हो जावे दिलवाया जावे।

प्रतिवादी सं. 19 से 21 ने अपने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम में दावा की मद सं. 1 से 12 में वही तथ्य अंकित किये हैं जो प्रतिवादी सं. 14 ता 18 द्वारा अंकित किये गये हैं। प्रतिवादी सं. 19 ता 21 ने अपने काउण्टर क्लेम में अंकित किया है कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी में अंकित है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 22 के पूर्वजों के बीच आपसी सहमति से आपसी पारिवारिक मौखिक बाहमी फैसलानामा होकर सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंटवारा पीढ़ियों पूर्व किया हुआ है व इस मौखिक बंटवारा में प्रतिवादीगण सं. 19 ता 21 के हिस्से में अपने दादा स्वर्गीय जमाल के जीवनकाल में ही वर्तमान खसरा नम्बर 238 व 240 कस्बा चूरू की कृषि भूमि आई हुई थी जिसे उनके पुत्रगण स्वर्गीय इब्राहिम, स्वर्गीय यासीन व स्वर्गीय नूरमोहम्मद उर्फ नूरा काश्त करते थे। स्वर्गीय जमाल के तीनों पुत्रगण भी अपने–अपने हिस्से में आई हुई कृषि भूमि में आपस में विभाजन कर लिया था जिसे आपसी मौखिक विभाजन से प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 खसरा नम्बर 245 के चिपती काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 245 के चिपती हुई खसरा नम्बर 238

व 240 की कृषि भूमि में से उत्तरी तरफ की कृषि भूमि काश्त करते हैं जिनका कुल 2.7442 हैक्टेयर हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 आपसी बंटवारे के अनुसार अपनी कृषि भूमि का विभाजन कराकर अपने नाम अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 19 से 21 ने अपने हिस्से में आई हुई कृषि भूमि वाके रोही कस्बा चूरू में तारबन्दी कर रखी है व लोहे का दरवाजा लगा रखा है जो पीढ़ियों से इस कृषि भूमि को काश्त करते हैं। जिसका खाता विभाजन कराकर प्रतिवादी सं. 19 से 21 अपने नाम से अलग खाता कायम कराने के अधिकारी हैं। दावा की मद सं. 1 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि के सह खातेदार काश्तकार पक्षकारान के पूर्वजों के बीच हुए मौखिक पारिवारिक फैसलानामा में किये गये विभाजन में प्रतिवादीगण के हिस्से में आई हुई कृषि भूमि जिसे प्रतिवादीगण काश्त करते हैं एवं प्रतिवादीगण ही इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। इसलिए प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमियों का खाता विभाजन करवाकर खाता अलग कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण 19 ता 21 भी अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि को शामलाती खाते में नहीं रखना चाहते इसलिए प्रतिवादीगण को भी खाता विभाजन कराने हेतु विनाय दावा व विनाय मुखास्मत हासिल है जिस हेतु यह प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) प्रतिवादीगण की ओर से उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने के काबिल है।

अतः प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 की ओर से प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) पेश किया जाकर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे–

(क) कृषि भूमि खेत ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कमशः 7.3475 हैक्टेयर, 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर, 8.9284 हैक्टेयर कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर वाके राही कस्बा चूरू का विभाजन किया जाकर खेत खसरा नम्बर 238 तादादी 4.4895 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 240 तादादी 3.7433 हैक्टेयर में से उत्तरी तरफ की खसरा नम्बर 245 के चिपती 2.7442 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 19 ता 21 की खातेदारी में नाम दर्ज की जावे व मौके पर माप जोखकर अलग खाता व नक्शा राजस्व रिकार्ड में कायम किया जाकर नक्शा व जमाबन्दी में इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष हितकर प्रतिवादी हो या हो जावे दिलवाया जावे।

प्रतिवादी सं. 25 ता 29 की ओर से पेश जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम में दावा की मद सं. 1 से 9 के तथ्यों को स्वीकार करते हुए मद सं. 10 ता 12 व 14 ता 16 के तथ्यों को कानूनी बताया है तथा अंकित किया है कि हम प्रतिवादीगण सं. 25 ता 29 खसरा नम्बर 245 में 1.7700 हैक्टेयर हिस्सा की कृषि भूमि पर काश्त करते हैं। प्रतिवादी सं. 25 ता 29 ने अपने काउण्टर क्लेम में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण सं. 25 ता 29 अपने हिस्से की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 245 वाके रोही कस्बा चूरू में 1.7700 हैक्टेयर हिस्सा की कृषि भूमि पर काश्त करते हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 29 आपसी बंटवारे के अनुसार अपनी कृषि भूमि का विभाजन कराकर अपने नाम से अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं। यह कि प्रतिवादीगण सं. 25 ता 29 ने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि में एक पक्का मकान भी बना रखा है जिसका खाता विभाजन कराकर प्रतिवादीगण सं. 25 ता 29 अपने नाम से अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण सं. 25 ता 29 अपने हिस्से में आई कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 245 तादादी 1.7700 हैक्टेयर काश्त करते हैं एवं इस भूमि के खातेदार काश्तकार हैं इसलिए प्रतिवादीगण सं. 25 ता 29 अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमियों का विभाजन करवाकर खाता अलग करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण सं. 25 ता 29 भी अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि को शामलाती खाते में नहीं रखना चाहते इसलिए प्रतिवादीगण को भी खाता विभाजन कराने हेतु विनाय दावा व विनाय मुखास्मत हासिल है जिस हेतु यह प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम)

प्रतिवादीगण की ओर से उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने के काबिल है।

अतः प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 29 की ओर से प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) पेश किया जाकर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे–

(क) कृषि भूमि खेत ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कमशः 7.3475 हैक्टेयर, 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर, 8.9284 हैक्टेयर कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू का विभाजन किया जाकर खेत खसरा नम्बर 245 में तादादी 1.7700 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 25 ता 29 की खातेदारी में नाम दर्ज की जावे व मौके पर माप जोखकर अलग खाता व नक्शा राजस्व रिकार्ड में कायम किया जाकर नक्शा व जमाबन्दी में इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष हितकर प्रतिवादी हो या हो जावे दिलवाया जावे।

वादी की ओर से पेश दावा में प्रतिवादी सं. 6 से 13 व 22 से 24 पर एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से इकबालदावा व प्रतिवादी सं. 14 से 18, 19 से 21 व 25 से 29 की ओर से पेश इकबालदावा मय काउण्टर क्लेम पर वादी को कोई आपत्ति नहीं होने से दावा में तनकियात् कायम नहीं की जाकर साक्ष्यवादी में रखी गई। पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट चूरू में पेश हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5, 14 से 21 व 25 से 29 ने जाहिर किया कि हम साक्ष्यवादी व साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते। दावा पर पेश दस्तावेजात को ही साक्ष्य माना जावे जिस पर साक्ष्यवादी व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वादी व प्रतिवादी पक्षकारों ने अपना राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा को प्रमाणित कर दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा को शामिल पत्रावली किया जाकर अवलोकन किया गया। राजीनामा पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5, 14, 17 से 21 व 25, 26 के हस्ताक्षर अंकित हैं जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई है। पक्षकारान ने अपने राजीनामा में दावा व काउण्टर क्लेम में अंकितानुसार दावा स्वीकार किये जाने में स्वेच्छा से अपनी सहमति देते हुए दावा में डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया जिसे सभी उपस्थित पक्षकारों ने सही होना स्वीकार किया। इसलिए राजीनामा प्रमाणित किया गया। पत्रावली एवं पेश दस्तावेज जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी ने दावा में वादगत कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। हालांकि वादी उनको पक्षकार नहीं बनाने का तथ्य प्रकट कर आया है परन्तु उक्त खातेदार वादगत कृषि भूमि के खातेदार होने से इस दावा में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार हैं इसलिए उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित मानते हुए वकील वादी को उस्मानगनी व पतासीबानो को दावा में प्रतिवादी सं. 32 व 33 पक्षकार बनाकर संशोधित टाईटल व सम्मन तलवाना पेश करने का आदेश दिया गया जिस पर वकील वादी ने संशोधित टाईटल व सम्मन तलवाना पेश किये। संशोधित टाईटल पत्रावली के अवर में शामिल किया जाकर प्रतिवादी सं. 32 व 33 को सम्मन जारी किये गये।

प्रतिवादी सं. 33 की ओर से श्री रामकिशन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 24 की ओर से श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश किया। प्रतिवादी सं. 32 की रजि. डाक की रसीद पेश हुई जिसके अनुसार प्रतिवादी पर तलबी होना पाया गया परन्तु प्रतिवादी सं. 32 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर न्यायालय समय में उनको बार बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोइ उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 32 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 22 की ओर से श्री राजकुमार एडवोकेट ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9

नियम 7 सीपीसी के साथ अपना जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी सं. 22 व 24 के प्रा0पत्रों की प्रतियां वकील वादी को दी गई जिन्होंने "आपत्ति नहीं" अंकित किया। वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने पर प्रतिवादी सं. 22 व 24 के प्रा0पत्र स्वीकार किये जाकर उनके खिलाफ दिनांक 26.04.18 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाकर प्रतिवादी सं. 22 द्वारा पेश जवाबदावा को शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 22 की ओर से जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 से 9 स्वीकार हैं। दावा संख्या 13/13 के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.12.2017 से एकदम स्पष्ट है कि हम प्रतिवादी ख.नं. 240 से चिपती उत्तरी दिशा की खसरा सं. 238 की भूमि तादादी 2.7443 हैक्टेयर काश्त करता हूं। दावा की मद सं. 10 ता 12 व 14 ता 16 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 13 में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.03.2018 को इन्कार हो गये के तथ्य को छोड़कर बाकी तथ्य बाबत एतराज नहीं है। काउण्टर क्लेम में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है तथा जमाबन्दी में खातेदारी में अंकित है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 22 के पूर्वजों के बीच आपसी सहमति से आपसी पारिवारिक मौखिक बाहमी फैसलानामा होकर सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंटवारा पीढ़ियों पूर्व किया हुआ है व इस मौखिक बंटवारा में मुझ प्रतिवादी सं. 22 के हिस्से में अपने दावा स्व. जमाल के जीवनकाल से ही वर्तमान ख.नं. 238 व 240 कस्बा चूरू की कृषि भूमि आई हुई थी जिसे उनके पुत्रगण स्वर्गीय इब्राहिम, स्व. यासीन, स्व. नूरमोहम्मद उर्फ नानू काश्त करते थे। स्व. जमाल के तीनों पुत्रगण भी अपने अपने हिस्से में आई हुई कृषि भूमि में आपस में विभाजन कर दिया था मौखिक विभाजन से खसरा नं. 238 में 2.7443 हैक्टेयर कृषि भूमि मेरे कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसका खाता कायम करवा कर मेरे नाम से अलग करवाना चाहता हूं। मैंने मेरे हिस्से में उक्त कृषि भूमि वाके रोही करबा चूरू में तारबन्दी कर लोहे का गेट लगा रखा है। मैं इसी भूमि को काश्त करता हूं जिसका खाता विभाजन करवा कर प्रतिवादी सं. 22 रमजान अपने नाम से अलग खाता करवाने का अधिकारी है। इसलिये मैं प्रतिवादी भी खाता विभाजन करवाने हेतु बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत हासिल है जिस हेतु यह प्रतिदावा मुझ प्रतिवादी की ओर से उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी सं. 22 की ओर से प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिदावा निम्नानुसार डिकी फरमाया जावेः–

(क) कृषि भूमि खेत ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कमशः 7.3475 हैक्टेयर, 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर, 8.9284 हैक्टेयर कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर वाके रोही करबा चूरू का विभाजन किया जाकर खसरा नम्बर 238 में उत्तर दिशा की तादादी 2.7443 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 22 रमजान के नाम से खातेदारी में नाम दर्ज की जावे व मौके पर माप जोखकर अलग खाता व नक्शा राजस्व रिकार्ड में कायम किया जाकर नक्शा व जमाबन्दी में इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष हितकर प्रतिवादी हो या हो जावे वो दिलवाया जावे।

प्रतिवादी सं. 24 व 33 को आवश्यक रूप से जवाबदावा पेश करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् काफी अवसरों सहित अन्तिम अवसर व स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर दिया गया। वकील वादी की ओर से प्रतिवादी सं. 22 की मृत्यु दिनांक 29.05.19 को हो जाने से प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। प्रतिवादी सं. 6, 8, 9 से 11 की ओर से श्री अनन्तराम सोनी एडवोकेट ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाने पर वकील वादी ने "नो ऑब्जेक्शन" अंकित किया जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 6, 8, 9 से 11 के खिलाफ दिनांक 26.04.18 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई। पत्रावली प्रा0पत्र 22/4 व 151 सीपीसी व जवाबदावा में लम्बित रही। इस दौरान वकील वादी ने सूची के संलग्न दस्तावेजात् पेश किये एवं प्रतिवादी सं.

22 के पुत्र जाकिरहुसैन की मृत्यु दिनांक 19.09.19 को हो जाने पर प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। वकील प्रतिवादीगण दोनों प्रार्थना पत्रों का जवाब नहीं देना चाहते तथा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए दोनों प्रा0पत्र स्वीकार किये जाकर वकील वादी को प्रतिवादी सं. 22 व उनके पुत्र जाकिरहुसैन के कायम मुकामान को पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया एवं वकील वादी द्वारा पेश संशोधित टाईटल को पत्रावली में शामिल किया गया। प्रतिवादी सं. 22/1 से 22/7 की ओर से हिदायत पैरवी का प्रार्थना पत्र मीमो श्री राजकुमार एडवोकेट ने पेश किया। पत्रावली जवाबदावा में लम्बित रही। प्रतिवादी सं. 13 की ओर से श्री राजकुमार एडवोकेट ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाने पर वकील वादी ने "नो ऑब्जेक्शन" अंकित किया जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 13 के खिलाफ दिनांक 26.04.18 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई एवं पेश जवाबदावा को शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 13 नजमा की ओर से पेश जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 से 9 स्वीकार है तथा प्रतिवादिनी को दावा संख्या 13/13 अनुवानी कासम बनाम मो0 युसुफ आदि में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.11.2017 व अन्तिम डिक्री दिनांक 12.02.2018 बाबत सहमति है तथा उक्त दावा में दिनांक 14.12.2017 को तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव बाबत प्रतिवादिनी को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। प्रतिवादिनी द्वारा पूर्व में दावा सं. 13/13 अनुवानी कासम बनाम मो0 युसुफ आदि के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के यहां अपील संख्या 15/2018 अनवानी नजमा आदि बनाम कासम आदि के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसका निर्णय दिनांक 30.08.2019 को हो चुका है। प्रतिवादिनी सं. 13 का वर्तमान में कृषि भूमि बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादिनी द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि का विक्रय पतासीबानो के हक में दिनांक 24.01.2018 को कर दिया था। प्रतिवादिनी का खेत ख. नं. 931 वाके रोही चूरू बाबत कोई विवाद नहीं है। दावा की मद सं. 10 ता 12 व 14 ता 16 कानूनी है तथा मद सं. 13 स्वीकार है। अतः जवाबदावा स्वीकार करने की कृपा करें।

प्रतिवादी सं. 6, 8, 9 व 11 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर अंकित किया कि मद सं. 1 अर्जीदावा में लिखे तथ्य जिसमें परिवार के कुर्सीनामा एवं बाहमी विभाजन के मुताबिक वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने हिस्से के मुताबिक अपने हिस्से की भूमि को लम्बे अरसे से काश्त किये जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है शेष तथ्य वादी को स्वयं साबित करने हैं। मद सं. अर्जीदावा में अंकित तथ्य जिसमें वादगत भूमि के बाहमी बंटवारे का अंकन किया गया है तथा ख.नं. 234 रकबा 7.3475 हैक्टेयर भूमि हमारे पूर्वजों के कब्जा काश्त बाबत हम सभी प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है तथा इसी मुताबिक हम सभी प्रतिवादीगण इस भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं शेष तथ्यों बाबत आपत्ति नहीं है। मद संख्या 3 से 12 अर्जीदावा बाबत हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है स्वीकार किये जाते हैं। मद सं. 13 अर्जीदावा बाबत हम प्रतिवादीगण को जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है। हम प्रतिवादीगण को दावा दायरी की कोई भी सूचना वादी द्वारा ना तो मौखिक या ना ही लिखित में दी गई, ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। मद के तमाम तथ्य दावा का आधार बनाने के लिए काल्पनिक अंकित किये गये हैं। अगर वादी द्वारा हम प्रतिवादीगण को दावा दायरी की जानकारी दी जाती तो हम प्रतिवादीगण के द्वारा भी अपने हिस्से कब्जा काश्त के मुताबिक विभाजन की कार्यवाही इसी के साथ करवा दी जाती। इसलिए हम प्रतिवादीगण द्वारा इस दावा के जवाबदावा के साथ ही अपने हिस्से की भूमि को ख. नं. 234 रकबा 7.3475 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में से अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने के लिये काउण्टर क्लेम जवाबदावा के साथ अलग से पेश किया जा रहा है। मद सं. 14 का

सम्बन्ध हम प्रतिवादीगण से नहीं होने व मद सं. 15 अर्जीदावा बाबत हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। मद 16 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। अन्तिम मद मय अनुतोष मय उपमदात क से ग दावा के बाबत हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। यदि अर्जीदावा में अंकित अनुसार दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है लेकिन हम प्रतिवादीगण का हिस्सा व खाता अलग किया जावे।

काउण्टर क्लेम में अंकित किया कि हम वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 22 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा वादगत दावा में अंकित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमियां हैं जिस पर पूर्वजों के समय से ही हम प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त बतौर काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है जिस पर हम काबिज चले आ रहे हैं। वादगत कृषि भूमियां ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कुल रकबा 24.5087 हैक्टेयर भूमि रोही कस्बा चूरू हमारी पैतृक कृषि भूमियां हैं जिस पर हम सभी प्रतिवादीगण ने सहमति से अपने अपने हिस्सा के मुताबिक लम्बे अर्से से अलग अलग मौके पर हिस्सा पांती के अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं जिसके अनुसार हम प्रतिवादीगण ख.नं. 234 तादादी 7.3475 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू की मौके पर काश्त करते आ रहे हैं जिस बाबत अन्य सह खातेदारों को भी कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं रहा है तथा इस कृषि भूमि बाबत एक दावा सं. 13/13 अनवानी कासम बनाम मो0 युसुफ आदि अदालत उपखण्ड अधिकारी चूरू के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें अदालतवाला ने दिनांक 11.01.18 में हम प्रतिवादीगण को ख.नं. 234 रोही कस्बा चूरू पर काबिज वा काश्तकार अपने विभाजन प्रस्ताव में माना है इसी के मुताबिक हम आज भी मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अपनी इसी भूमि का दावा के साथ अलग से विभाजित करवाना चाहते हैं जिसके लिए यह काउण्टर क्लेम हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादगत भूमि शामिल खातेदारी में रहने से काश्त वा भूमि की कीमत वा किस्म को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है इसलिए हम प्रतिवादीगण ख.नं. 234 में से अपने हिस्से के आनुपातिक भूमि का विभाजन करवाना चाहते हैं जिसके लिए यह प्रतिदावा पेश किया जा रहा है। अतः जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि हम प्रतिवादीगण सं. 6, 8, 9 वा 11 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री जारी की जावेः–

(क) कृषि भूमि खेत ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर भूमि रोही कस्बा चूरू का विभाजन किया जाकर खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 7.3475 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में से हम प्रतिवादीगण का अपने आनुपातिक हिस्से के मुताबिक अलग खाता विभाजित किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रतिवादी हो या हो जावे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रतिवादी सं. 24 व 33 को जवाबदावा हेतु असीमित अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। दावा में उपस्थित समस्त प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल जवाब व काउण्टर क्लेम पेश होने, प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम पर वादी को कोई आपत्ति नहीं होने एवं दावा मात्र खाता विभाजन का होने से तनकियात् कायम नहीं की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। नियत तारीख पेशी पर वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात् प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–7 को साक्ष्य माना जावे। दावा में उपस्थित प्रतिवादीगण अपना इकबालदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर चुके हैं जिस पर वादी को कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण साक्ष्य नहीं कराना चाहते हैं। दावा में प्रस्तुत प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 के अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात् को ही साक्ष्य माना जाकर साक्ष्यवादी व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस सुनने से पूर्व प्रतिवादिया सं. 33 पतासीबानो की ओर से जवाब अवसर खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थिनी की

ओर से जवाब पेश होना था परन्तु प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने मुझे सूचित नहीं किया व मेरा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क भी नहीं रहा तथा प्रार्थिनी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। इसलिए जवाबदावा पेश नहीं किया जा सका एवं माननीय न्यायालय ने जवाबदावा बन्द कर दिया है। जवाबदावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित है जो न्यायहित में अति आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादिनी अपने हिस्से का खाता अलग करवाना चाहती है। अतः निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थिनी का जवाबदावा लिये जाने का आदेश प्रदान करें। प्रार्थिनी/प्रतिवादी सं. 33 के प्रार्थना पत्र पर वकील वादी ने 'नो ऑब्जेक्शन' अंकित किया। वकील प्रतिवादी सं. 33 ने कथन किया कि हम पृथक् से कोई जवाबदावा पेश नहीं करना चाहते। दावा में प्रस्तुत प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 के अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 22 की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसमें वर्तमान में समस्त सह खातेदारान पूर्वजों के समय हुए मौखिक पारिवारिक फैसलानामा बंटवारे के अनुसार अपने हिस्सों पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा अपने अपने हिस्सों की कृषि भूमि का विभाजन अपने अपने कब्जा काश्त के अनुसार करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 25 से 29 व 32, 33 ने वादगत कृषि भूमि के पूर्व खातेदारों से कृषि भूमि खरीदी है तथा वर्तमान में अपने खरीदशुदा हिस्सों की भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार हैं जो अपने हिस्सों की भूमियों का कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में इसी न्यायालय में निर्णित दावा सं. 13/13 में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में सभी का मौके अनुसार कब्जा काश्त दर्शित किया गया है जिससे दावा स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। हमने वादगत कृषि भूमि के समस्त दर्ज खातेदारों को पक्षकार दावा बनाया है जिनमें से प्रतिवादी सं. 7, 12, 13, 27 व 32 विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये हैं जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है जिनमें से प्रतिवादी सं. 12 व 13 अपने हिस्से की कृषि भूमियों का विक्रय प्रतिवादी सं. 32 व 33 को कर चुके हैं जिनमें से प्रतिवादी सं. 33 ने प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने इकबाल जवाब पेश किया है तथा अन्य सभी उपस्थित प्रतिवादीगण ने इकबाल जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश कर अपने अपने खातेदारी हिस्सों के मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 में अंकित व दर्शितानुसार अपने अपने खाते अलग कायम करवाना चाहते हैं जिस पर वादी को कोई आपत्ति नहीं है तथा वादी के दावा पर उक्त प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी सहमति दी है। अतः दावा स्वीकार फरमाया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि हम अपना इकबाल जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर चुके हैं जिस पर वादी को कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में समस्त सह खातेदारान वादगत कृषि भूमियों के मौके पर अपने अपने खातेदारी हिस्से की भूमियों पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा अपने अपने हिस्सों की भूमियों का खाता विभाजन प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 में अंकित व दर्शितानुसार करवाना चाहते हैं। अतः दावा वादी व काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण के स्वीकार किये जाकर दावा में अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात मय राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 कस्बा चूरू ख.नं. 234, 238, 240, 245 कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 11 व 14 से 29 के साथ प्रतिवादी सं. 12 व 13 का हिस्सा स्थगन आदेश के दौरान खरीदने वाले उस्मानगनी पुत्र उम्मेदखान व पतासीबानो पत्नी वाहिदखां खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–2 वादगत कृषि भूमियों का नक्शा है जिसमें समस्त खसरे एक–दूसरे के चिपते हुए स्थित होना

दर्शित हैं। प्रदर्श–3 पत्र कमांक 6283 दिनांक 14.12.2017 तहसीलदार, चूरू की प्रमाणित प्रति है जिसके संलग्न दावा सं. 13/2013 अनुवानी कासमअली बनाम मोहम्मदयुसुफ आदि में चाहा गया विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है। प्रदर्श–4 रिपोर्ट भू–अ.निरीक्षक वृत्त चूरू जिसमें न्यायालय के पत्र कमांक 6246 दिनांक 07.12.17 की पालना में वादी व प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव मौके व रिकार्ड के अनुसार तैयार कर भिजवाये गये हैं जिसमें उक्त दावा के वादी व प्रतिवादी सं. 18 से 22 का कब्जा काश्त ख.नं. 931 में दर्शित है। इस दावा के प्रतिवादी सं. 14 से 18 व 25 से 29 का कब्जा काश्त ख.नं. 245 में दर्शित है। प्रतिवादी सं. 6 से 13 व 23, 24 का कब्जा काश्त ख.नं. 234 में अंकित है। प्रतिवादी सं. 22 का ख.नं. 238 में, 19 से 21 का ख.नं. 240 में तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 5 का ख.नं. 238 व 240 में दर्शित है। प्रदर्श–5 विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा में अलग अलग रंगों से समस्त पक्षकारों का कब्जा काश्त दर्शित है। प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 कस्बा चूरू के ख.नं. 931 तादादी 8.3466 हैक्टेयर में वर्तमान में पूर्व दावा सं. 13/13 के वादी कासमअली व प्रतिवादी सं. 18 से 22 खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श–7 प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र संख्या 9/2013 अनुवानी कासमअली बनाम मो0युसुफ आदि में निर्णय दिनांक 29.07.2015 के द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर ताफैसला दावा दोनों पक्षों को पाबन्द किया गया है कि दोनों पक्ष ताफैसला दावा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि वादगत कृषि भूमियां वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 29 व 32, 33 की सह खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमियां हैं जिनमें से वादी ने अपने व प्रतिवादी सं. 1 से 5 के खातेदारी हिस्सों की भूमि का खाता विभाजन पूर्वजों के समय हुए पारिवारिक बाहमी फैसलानामा बंटवारा के अनुसार मौके पर अपने कब्जा काश्त के आधार पर करवाने हेतु यह दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादी के सगे भाई हैं जिन्होंने अपने इकबालदावा के माध्यम से दावा को स्वीकार करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी सं. 6 से 13 एवं 22 से 24 विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये हैं जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तथा उन्होंने कोई एतराज या आपत्ति भी पेश नहीं की है। प्रतिवादी सं. 14 से 18, 19 से 21 व 25 से 29 ने इकबालदावा मय काउण्टर क्लेम के जरिये वादगत कृषि भूमि में स्थित अपने–अपने हिस्सों की भूमियों का खाता विभाजन अपने कब्जा काश्त के अनुसार चाहा है जिस पर वादी व अन्य पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है। वादगत कृषि भूमि की चालू जमाबन्दी के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादी ने अपने दावा में प्रतिवादी सं. 12 व 13 के हिस्सों को खरीदने वाले व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया था क्योंकि उन्होंने उक्त हिस्से इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29.07.2015 के प्रभावी रहते क्रय किये गये थे जिससे उक्त विक्रय पत्र कानूनन बेअसर, बातिल व निष्प्रभावी माने जाने योग्य हैं। वादी द्वारा अंकित उक्त तथ्य प्रदर्श–7 के अवलोकन से कानूनन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिवादी सं. 12 व 13 द्वारा अपने–अपने हिस्सों की भूमियों का विक्रय क्रमशः दिनांक 08.01.2018 व 24.01.2018 को किया गया है जबकि स्थगन आदेश मूल दावा सं. 13/13 के निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 12.02.2018 तक प्रभावी रहा है। वादी ने अपने दावा में विक्रेता खातेदारों को पक्षकार बनाया है जो उपस्थित नहीं आये हैं। हालांकि प्रतिवादी सं. 12 व 13 द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 29.07.2015 के प्रभावी रहते अपने हिस्सों का विक्रय किया गया है जिससे न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है तथा उक्त आदेश के प्रभाव में रहते करवाये गये विक्रय पत्र कानूनन निष्प्रभावी माने जाने योग्य हैं परन्तु उक्त बेची गई हिस्सा भूमियों की खातेदारी वर्तमान में क्रेताओं के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा दावा का निर्णय किये जाने से उनके हित व खातेदारी अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत असर पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि उनका कब्जा काश्त पूर्व विक्रेता खातेदारों के अनुसार ही सुरक्षित रहना है जो कि प्रदर्श–4 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से उनका कब्जा काश्त ख.नं. 234 में होना पाया जाता है तथा यह भी जाहिर है कि उक्त क्रेताओं को बाद में प्रतिवादी सं. 32

व 33 के रूप में पक्षकार बनाया गया है जिनमें से प्रतिवादी सं. 32 विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आया है तथा प्रतिवादी सं. 33 ने दावा पर अपनी सहमति प्रदान की है। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की होने से वादी व प्रतिवादीगण अपने खातेदारी हिस्सों की कृषि भूमियों का खाता विभाजन करवा कर अलग–अलग खाते व लगान कायम करवाने के अधिकारी हैं। वादी ने अपने दावा एवं प्रतिवादीगण ने अपने काउण्टर क्लेम में अपने–अपने खातेदारी हिस्सों की भूमियों का खाता विभाजन मौके पर अपने–अपने कब्जा काश्त के अनुसार करवाना चाहा है जिस पर किसी भी उपस्थित पक्षकार को कोई आपत्ति या एतराज नहीं है तथा आपस में सहमत हैं। दावा के वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 5, 14 से 21 एवं 25 से 29 की ओर से पक्षकारों ने राजीनामा भी पेश किया है जिसमें सभी उपस्थित पक्षकारों ने स्वेच्छा से अपनी सहमति दी है। दावा पर बहस के समय वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं ने दावा पर पेश प्रदर्श–4 व 5 के अनुसार निर्णय व अन्तिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति दी है जिससे लोक अदालत की भावना के अनुरूप पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादी एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 14 से 18, 19 से 21 एवं 25 से 29 के स्वीकार किये जाने योग्य हैं तथा दावा वादी में निर्णय व अन्तिम डिक्री जारी करने योग्य है।

निर्णय

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना एवं पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादी एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 14 से 18, 19 से 21 एवं 25 से 29 का स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी क्रमशः 7.3475 हैक्टेयर, 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर, 8.9284 हैक्टेयर कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू में से वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन मौके पर उनके कब्जा काश्त के अनुसार किया जाकर निम्नानुसार अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
1.	जाकिरहुसैन, अब्दुलसतार, कादरबक्स, जाफरहुसैन, मोहम्मदअसलम, सलीम पि. यासीन जाति तेली निवासी चूरू ब.हि.ब. खातेदार	238 मिन	1.7452	बारानी	
		240 मिन	0.9991	बारानी	
		किता–2	2.7443	बारानी	
2.	जुबेदाबेगम पत्नी स्व. रमजान, अनवरहुसैन, शाकिरा, साजिदा, शबनम, रंजुम पुत्र–पुत्रियां स्व. रमजान ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा, फरीदाबेगम पत्नी स्व. जाकिरहुसैन, रियाजअहमद, फरदीनअहमद, जुनेरा भाटी, जिया पुत्र–पुत्रियां स्व. जाकिरहुसैन ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा जाति तेली निवासी चूरू खातेदार	238 मिन	2.7443	बारानी	
3.	मोहम्मदइस्माईल, शौकतअली, मुस्लिम पि. नूरमोहम्मद जाति तेली निवासी चूरू ब.हि.ब. खातेदार	240 मिन	2.7442	बारानी	

4.	मो0युसुफ पुत्र सुलेमान 2.6942 है. मोहसिन, जावेद, हारून पि. साबिरहुसैन व शमीम पत्नी साबिरहुसैन ब.हि.ब. 4.4642 है. जाति तेली निवासी चूरू, निसार थीम पुत्र हनीफ थीम जाति कसाई निवासी चूरू 0.3540 है., याकूबअली पुत्र सादुलेखां जाति कायमखानी निवासी ताखलसर त0रामगढ शेखावाटी 0.3540 है., मोहम्मदशकीलखां पुत्र निजामुदीनखां जाति कायमखानी निवासी सीकर 0.3540 है., अयूबखां पुत्र नबाबखां जाति कायमखानी निवासी चूरू 0.3540 है., राजवीरसिंह पुत्र सुमेरदान जाति चारण निवासी चूरू 0.3540 है. खातेदार	245	8.9284	बारानी	
5.	मोहम्मदअयूबखां पुत्र हबीबखां जाति कायमखानी नि. चूरू 4.5632 है. उस्मानगनी खोकर पुत्र उम्मेदखां जाति कायमखानी नि.सबलपुरा, सीकर 0.3667 है. पतासीबानो पत्नी वाहिदखां जाति कायमखानी नि. चूरू 0.3667 है. शशिकान्त पुत्र विजयकुमार जाति ब्राह्मण नि. चूरू 0.7081 है. जाफरहुसैन, नसीम, मुन्नी, मो.युसुफ, राजू पि. यासीन व जीवणी पत्नी यासीन जाति तेली ब. हि.ब. 1.3428 है. निवासी चूरू खातेदार	234	7.3475	बारानी	

तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि यह जांच करें कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो, भूमि समस्त प्रकार के ऋण भार से मुक्त हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित नहीं हो, भूमि गैर खातेदारी/रकबा राज ना हो। बाद जांच एवं अपीलीय मियाद अवधि के पश्चात् निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक्-पृथक् कायम करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

जाकिरहुसैन पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. अब्दुल सतार पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
2. मोहम्मद असलम पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
3. जाफर हुसैन पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
4. कादरबक्स पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
5. सलीम पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
6. जीवणी पत्नी स्व. यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
7. युसुफ पुत्र यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
8. जाफर पुत्र यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
9. राजू पुत्र यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
10. मुन्नी पुत्री यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
11. नसीम पुत्री यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
12. बाबू पुत्र यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
13. नजमा पुत्री यासीन जाति तेली नि. वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
14. जावेद पुत्र साबिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
15. हारून पुत्र साबिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
16. मोहसिन पुत्र साबिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
17. समीम पत्नी साबिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
18. मोहम्मद युसुफ पुत्र सुलेमान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
19. मोहम्मद इस्माईल पुत्र नूरमोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
20. शौकतअली पुत्र नूरमोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
21. मुस्लिम पुत्र नूरमोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं. 7, चूरू (राज.)
22. स्व. रमजान पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)

22/1 जुबेदाबेगम पत्नी स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/2 अनवर हुसैन पुत्र स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3 स्व. जाकिरहुसैन पुत्र स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/1 फरीदाबेगम पत्नी स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/2 रियाजअहमद पुत्र स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/3 फरदीनअहमद पुत्र स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/4 जुनेरा भाटी पुत्री स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/3/5 जिआ पुत्री स्व. जाकिरहुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/4 शाकिरा पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/5 साजिदा पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/6 शबनमबानो पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)
22/7 रंजुम पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.)

23. शशिकान्त पुत्र विजयकुमार जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 23, चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

24. मोहम्मदअयूबखां पुत्र हबीबखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 9, चूरू (राज.)
25. अयूबखां पुत्र नबाबखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 12, चूरू (राज.)
26. निसार थीम पुत्र हनीफ थीम जाति कसाई निवासी चूरू (राज.)
27. मोम्मदशकीलखां पुत्र निजामुदीनखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 12, चूरू (राज.)
28. याकूबअली पुत्र सादुलेखां जाति कायमखानी निवासी ताखलसर तह. रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
29. राजवीरसिंह पुत्र सुमेरदान जाति चारण निवासी वार्ड नं. 24, गांधी कॉलोनी चूरू (राज.)
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू (राज.)
31. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, चूरू (राज.)
32. उस्मानगनी खोकर पुत्र उम्मेदखान जाति कायमखानी निवासी सबलपुरा, सीकर
33. पतासीबानो पत्नी वाहिदखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 06, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नं. 24/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री राकेश सहारण एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब श्री राजकुमार, श्री अनन्तराम सोनी, श्री नन्दराम राहड़ व श्री सन्दीप वर्मा एडवोकेट्स प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:–

विस्तृत विवेचना एवं पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादी एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 14 से 18, 19 से 21 एवं 25 से 29 का स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 234, 238, 240, 245 तादादी कमशः 7.3475 हैक्टेयर, 4.4895 हैक्टेयर, 3.7433 हैक्टेयर, 8.9284 हैक्टेयर कुल तादादी 24.5087 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू में से वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन मौके पर उनके कब्जा काश्त के अनुसार किया जाकर निम्नानुसार अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
1.	जाकिरहुसैन, अब्दुलसतार, कादरबक्स, जाफरहुसैन, मोहम्मदअसलम, सलीम पि. यासीन जाति तेली निवासी चूरू ब.हि.ब. खातेदार	238 मिन	1.7452	बारानी	
		240 मिन	0.9991	बारानी	
		किता–2	2.7443	बारानी	
2.	जुबेदाबेगम पत्नी स्व. रमजान, अनवरहुसैन, शाकिरा, साजिदा, शबनम, रंजुम पुत्र–पुत्रियां स्व. रमजान ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा, फरीदाबेगम पत्नी स्व. जाकिरहुसैन, रियाजअहमद, फरदीनअहमद, जुनेरा भाटी, जिया पुत्र–पुत्रियां स्व. जाकिरहुसैन ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा जाति तेली निवासी चूरू खातेदार	238 मिन	2.7443	बारानी	
3.	मोहम्मदइस्माईल, शौकतअली, मुस्लिम पि. नूरमोहम्मद जाति तेली निवासी चूरू ब.हि.ब. खातेदार	240 मिन	2.7442	बारानी	

4.	मो0युसुफ पुत्र सुलेमान 2.6942 है. मोहसिन, जावेद, हारून पि. साबिरहुसैन व शमीम पत्नी साबिरहुसैन ब.हि.ब. 4.4642 है. जाति तेली निवासी चूरू, निसार थीम पुत्र हनीफ थीम जाति कसाई निवासी चूरू 0.3540 है., याकूबअली पुत्र सादुलेखां जाति कायमखानी निवासी ताखलसर त0रामगढ शेखावाटी 0.3540 है., मोहम्मदशकीलखां पुत्र निजामुदीनखां जाति कायमखानी निवासी सीकर 0.3540 है., अयूबखां पुत्र नबाबखां जाति कायमखानी निवासी चूरू 0.3540 है., राजवीरसिंह पुत्र सुमेरदान जाति चारण निवासी चूरू 0.3540 है. खातेदार	245	8.9284	बारानी	
5.	मोहम्मदअयूबखां पुत्र हबीबखां जाति कायमखानी नि. चूरू 4.5632 है. उस्मानगनी खोकर पुत्र उम्मेदखां जाति कायमखानी नि.सबलपुरा, सीकर 0.3667 है. पतासीबानो पत्नी वाहिदखां जाति कायमखानी नि. चूरू 0.3667 है. शशिकान्त पुत्र विजयकुमार जाति ब्राह्मण नि. चूरू 0.7081 है. जाफरहुसैन, नसीम, मुन्नी, मो.युसुफ, राजू पि. यासीन व जीवणी पत्नी यासीन जाति तेली ब.हि.ब. 1.3428 है. निवासी चूरू खातेदार	234	7.3475	बारानी	

तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि यह जांच करें कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो, भूमि समस्त प्रकार के ऋण भार से मुक्त हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित नहीं हो, भूमि गैर खातेदारी/रकबा राज ना हो। बाद जांच एवं अपीलीय मियाद अवधि के पश्चात् निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक्–पृथक् कायम करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06 माह मार्च सन् 2020 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू